

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3662/2024


दिनांक 07.11.2024

श्रीमती श्वेता अग्रवाल (RJ01076), तत्कालीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपलू (टोंक) हाल प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक को दिनांक 31.08.2024 से 05.09.2024 तक 06 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती अग्रवाल की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपलू (टोंक) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/64/2016/ 0028

दिनांक 07.11.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 12363 दिनांक 09.09.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती श्वेता अग्रवाल (RJ01076), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपलू (टोंक)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक।


सहायक रजिस्ट्रार